



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



22 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 150 राँची, मंगलवार,

12 मार्च, 2024 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

17 जनवरी, 2024

**संख्या-5/आरोप-1-179/2017 का०-358--**श्री विवेक नारायण अखौरी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-536/03), तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के विरुद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची के पत्रांक-2265 दिनांक 16.11.2017 द्वारा पंचम संयुक्त सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-6/13) में प्रोबेशन सेवा हेतु समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर आयोग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-12080 दिनांक-11.12.2017 एवं स्मार पत्रांक-1403 दिनांक- 21.02.2018 द्वारा श्री अखौरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री अखौरी के पत्रांक-50, दिनांक-14.03.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री अखौरी के स्पष्टीकरण पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2621, दिनांक 08.11.2018 द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

श्री अखौरी के विरुद्ध आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-9069 दिनांक-13.12.2019 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उनके विरुद्ध आरोप पत्र की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-525 दिनांक 02.03.2021 द्वारा श्री अखौरी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किया गया-

**आरोप-** पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि०सं०-06/2013) के अभ्यर्थी श्री संदीप कुमार तिवारी, अनुक्रमांक-61321813, जन्म तिथि 01.01.1977 एवं श्री आशीष रंजन कुमार, अनुक्रमांक-61320903, जन्म तिथि 05.08.1984 की जन्म तिथि पूर्व अनुशंसित 04 अभ्यर्थियों में से तुलनात्मक रूप में 02 अभ्यर्थी श्री शांति भूषण, अनुक्रमांक- 61323372, जन्म तिथि 24.09.1986 एवं श्री अजितेश कुमार सिंह अनुक्रमांक-61321881, जन्म तिथि 16.03.1988 से पूर्व की है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए की गई अनुशंसा के क्रम में समान प्राप्तांक की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर अनुशंसा की गई (सेवावार विवरणी संलग्न) परन्तु प्रोबेशन सेवा के मामले में श्री शांति भूषण अनुक्रमांक- 61323372 एवं अजितेश कुमार सिंह अनुक्रमांक- 61321881 की अनुशंसा शारीरिक ऊँचाई के आधार पर की गई है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-3681, दिनांक 27.06.2023 द्वारा श्री अखौरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-83, दिनांक 13.10.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग के दिनांक-24.07.23 के निर्णय के आलोक में आयोग द्वारा पूर्व में लगाये गये आरोप को निरस्त कर दिया गया है। अतः आरोपी पदाधिकारी पर आरोप स्वतः निरस्त हो जाता है। अतः आरोपी पदाधिकारी पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

श्री अखौरी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री विवेक नारायण अखौरी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

**आदेश-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विवेक नारायण अखौरी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**चिन्टू दोराईबुरु**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----